**ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण – दिल्ली**
अपार्टमेंट नं. 318, तीसरी मंजिल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021।
अपील संख्या. 116/2023
ओ.ए. संख्या. 67/2017
(डीआरटी– III, दिल्ली)

**आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** **अपीलकर्ता**
**बनाम**
**सचिन कक्कड़ एवं अन्य** **प्रतिवादीगण**

**नोटिस**

**1. सचिन कक्कड़ पुत्र राजेंद्र कुमार कक्कड़**
2ए, ब्लॉक बीएच (पूर्व), एलआईजी फ्लैट, शालीमार बाग, दिल्ली।
**अन्य पताः** 801, 8वीं मंजिल, ब्लॉक–बी, निखिल पार्क रॉयल, मौजा चमरौली, ताज गंज वार्ड, आगरा।
**प्रतिवादी संख्या 1**

**2. पूजा शाल्ला पत्नी सचिन कक्कड़**
2ए, ब्लॉक बीएच (पूर्व), एलआईजी फ्लैट, शालीमार बाग, दिल्ली।
**अन्य पताः** 801, 8वीं मंजिल, ब्लॉक–बी, निखिल पार्क रॉयल, मौजा चमरौली, ताज गंज वार्ड, आगरा।
**प्रतिवादी संख्या 2**

**3. माँ मनसा देवी सहकारी आवास समिति लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, ई–12/8, श्री वृंदावन, संजय प्लेस, आगरा– 282002। **प्रतिवादी संख्या 3**

**4. निखिल होम एसोसिएट्स**
पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, ई–12/8, श्री वृंदावन, संजय प्लेस, आगरा– 282002। **प्रतिवादी संख्या 4**

चूँकि आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा 06.04.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है और इसे न्यायाधिकरण में पंजीकृत कर लिया गया है। इस मामले को 07.04.2026 को इस न्यायाधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

चूँकि न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए यह दर्शाया गया है कि सामान्य तरीके से आप पर नोटिस की तामील करना संभव नहीं है, अतः विज्ञापन के माध्यम से यह नोटिस दिया जाता है कि आप 14.05.2026 को इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।

यह विज्ञापन दो समाचार पत्रों एक क्षेत्रीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए, जो प्रतिवादी के उक्त क्षेत्र/अंतिम ज्ञात पते पर व्यापक रूप से प्रसारित होते हों।यह ध्यान रखें कि यदि आप ऊपर बताई गई तिथि को उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज दिनांक 09 अप्रैल, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

इस न्यायाधिकरण के आदेशानुसार

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच–2, ताज नगरी फेज 2, फतेहाबाद रोड, आगरा | **ई–नीलामी 26.05.2026**

### चल सम्पत्ति (वाहन) की नीलामी सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणी निम्नलिखित द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को देय रु. वर्णित ब्याज व दिनांक से व अन्य खर्चे पर देय की वसूली हेतु निम्नलिखित चल सम्पत्ति (कार) जिसका कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, की बिक्री 'जहाँ है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर दिनांक 26.05.2026 को की जायेगी। चल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है–

| क्र. सं. | खातेदार का नाम/पता | विवरण | बकाया देय/ एनपीए दिनांक | आरक्षित मूल्य / बयाना राशि / बोली वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| **शाखाः कमला नगर, आगरा, सम्पर्क करें मो.: 8650568665** | | | | |
| 1. | श्री पार्थिक पुत्र श्री राजपाल सिंह पताः भुढ़ाना, भुढ़ाना मुस्तकिल, आगरा | Registration No.- UP 80 GM 1733<br>Make- Maruti Suzuki S-PRESSO VXI (CNG)<br>Model: 2023<br>Chassis No.- MA3RFL61SNK411991<br>Engine No.- K10CNC192542 | **5,30,517.00**<br>ब्याज + अन्य खर्चे | **3,10,000/-**<br>**31,000/-**<br>**5,000/-** |

निविदाकारों द्वारा निम्नलिखित की बयाना जमा राशि (ईएमडी के रूप में) बैंक डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ऑफ इंडिया शाखा निम्नलिखित के नाम पर देय हो, को इस प्रकार भिजवाये ताकि दिनांक 25.05.2026 को सांय 04.00 बजे तक प्रधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया शाखा निम्नलिखित को प्राप्त हो जाए। बयाना जमा राशि (ईएमडी) के बिना, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाएँ, स्वीकार नहीं की जाएगी।

वाहन का निरीक्षण बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय आगरा, पर दिनांक 25.05.2026 को प्रातः 10:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक किया जा सकता है।

निविदायुक्त लिफाफे पर 'कार की बिक्री हेतु निविदा' अंकित की जानी चाहिए। समय पर प्राप्त निविदाएँ 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, आगरा में उपस्थित इच्छुक निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएँगी।

**नियम एवं शर्तेः–** 1. बिक्री 'जहाँ है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर की जायेगी। 2. वाहन आरक्षित मूल्य से कम कीमत में नही बेची जायेगी। बोली लगाने वाले वर्णित राशि के गुणक मे बोली की राशि बढ़ा सकते है। 3. अग्रधन जमा करने के बाद बोली लगाने वालो को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ड्राफ्ट की मूल प्रति पहचान का प्रमाण पते का प्रमाण एवं पासपोर्ट साईज फोटो 4. अधिकतम बोली लगाने वाले को सफल घोषित किया जायेगा तथा बिक्री की पुष्टि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी। 5. अधिकतम बोली लगाने वाले को बोली/ बिक्री राशि का शेष भुगतान 7 दिनों के भीतर करनी होगी, अग्रधन कुल राशि इसी मे समायोजित कर ली जायेगी। 6. यदि निर्धारित समय में शेष राशि जमा नहीं होती है तो अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति पुनः बेची जायेगी। 7. किसी भी या सभी बोलियो को निरस्त/ अस्वीकार/स्थगित / अग्रेषित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। 8. अधिक जानकारी के लिये बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, आगरा मे वसूली विभाग मे संपर्क कर सकते है।

**नोटः** गाड़ी नामांतरण में जुड़े सभी आर.टी.ओ. खर्चे वह गाड़ी खरीददार को स्वयं वहन करना होगा बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ी को यार्ड पार्किंग से उठाने में जो भी खर्चा होगा वह खरीददार को वहन करना होगा अगर खरीदने के बाद गाड़ी खरीददार नही उठाता है तो उस पर 70/– प्रतिदिन पार्किंग शुल्क के हिसाब से भुगतान करना होगा

**स्थानः आगरा** **दिनांकः 05.05.2026** **प्राधिकृत अधिकारी**

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE
FINANCIAL EXPRESS

## जम्मू और कश्मीर बैंक

J&K Bank
क्लस्टर कार्यालय (लखनऊ)
अमीन कॉम्पलेक्स, अकबरी गेट, लखनऊ–03
ईः cluluck@jkbmail.com

### कब्जा सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत सूचना**

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम,2002 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 31–08–2025 जारी कर ऋणधारको अर्थात 1. श्री मोहम्मद याह्या सुपुत्र मोहम्मद यूसुफ (ऋणधारक) निवासीः बी–20, कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226022; 2. श्रीमती नसरीन सिद्दीकी पत्नी सैफुल्ला सिद्दीकी निवासीः 135 मोहल्ला जुबलीगंज नूरी मार्केट नानपारा, बहराइच उत्तर प्रदेश 271865 (बंधककर्ता सह गारंटर) को उक्त सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर, ऋणधारक के खातों में 31–08–2025 तक के बकाया रु. 37,13,400.65 (रुपये सैंतीस लाख तेरह हजार चार सौ और पैसे पैंसठ मात्र) तथा भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः एतद्वारा विशेष रूप से उक्त ऋणधारक को और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने जे एंड के बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज दिनांक 30 अप्रैल,2026 को नीचे वर्णित बंधक संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उक्त उधारकर्ता, गारंटर सह बंधककर्ता को और आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी भी तरह का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी व्यवसाय रु. 38,98,076.65 (रुपये अड़तीस लाख अट्ठानवे हजार छिहत्तर और पैसे पैंसठ मात्र) की कुल राशि और उस पर दिनांक 01.03.2026 से भविष्य के ब्याज और अन्य खर्चों के लिये जे एंड के बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

**अचल संपत्ति का विवरण**

श्रीमती नसरीन सिद्दी, पत्नी सैफुल्ला सिद्दीकी, निवासी 135 मोहल्ला जुबलीगंज नूरी मार्केट नानपारा, बहराइच उत्तर प्रदेश 271865 के नाम पर पंजीकृत अचल संपत्ति का न्यायसंगत बंधक अर्थात प्लॉट/गाटा सं. 1289 पर स्थित एक मंजिला व्यावसायिक संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मी. है, जो कुर्सी, फतेहपुर, बाराबंकी में स्थित है।

**दिनांकः 30.04.2026** **अशोक कुमार**
**स्थानः लखनऊ, उ. प्र.** **प्राधिकृत अधिकारी**

**पंजीकृत कार्यालयः** कॉर्पोरेट मुख्यालय, एम.ए. रोड, श्रीनगर 190001 कश्मीर, भारत टेली–91(O) 1942481930–35; एफ –91(O) 1942481942481928
CIN: L65110JK1938SGC000048 |E: info@jkbmail.com; W: www.jkbank.net

## जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

J&K Bank
क्लस्टर कार्यालय (लखनऊ)
अमीन कॉम्प्लेक्स, अकबरी गेट, लखनऊ – 03
ईमेलः– cluluck@jkbmail.com

### कब्जा सूचना

**प्रतिभूति (प्रवर्तन) हित नियमन, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत सूचना**

1. चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 31.08.2026 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं से, अर्थात् 1. मेसर्स कमला ट्रेडर्स, प्रोप्राइटररू श्री रिजवान अहमद पुत्र मोहम्मद हलीम, निवासी हसनगंज, नानपारा देहाती, बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 (उधारकर्ता सह बंधककर्ता), इकाई पताः 157/4, नूरी मार्केट, जुबलीगंज पश्चिम, नानपारा, बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 (उधारकर्ता) से अनुरोध है कि वे 31–08–2025 तक उधारकर्ता के खाते में बकाया राशि 65,81,085.86 रुपये (साठ लाख इक्यासी हजार पचासी रुपये और छियासी पैसे मात्र) सहित भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा है।

उक्त उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 अप्रैल, 2026 को नीचे वर्णित बंधक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन कुल राशि रु.68,84,421.66 (अड़सठ लाख चौरासी हजार चार सौ इक्कीस रुपये और छियासठ पैसे मात्र), साथ ही 01.03.2026 से इस पर लगने वाला भविष्य का ब्याज और अन्य शुल्क, जो लगे हैं या लगने वाले हैं, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता(ओं) का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**अचल संपत्ति (वाहन) का विवरण**

1. नानपारा देहाती क्षेत्र (मोहल्ला–हसनगंज), तहसील नानपारा, जिला बहराइच में स्थित प्लॉट संख्या 01, खसरा संख्या 3803 मिन पर निर्मित मकान का समतुल्य बंधक, क्षेत्रफल 112.76 वर्ग मीटर है। यह मकान संपत्ति श्री रिजवान अहमद पुत्र मोहम्मद हलीम, निवासी हसनगंज,नानपारा देहाती, बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 के नाम पर है।
2. नानपारा देहाती क्षेत्र (मोहल्ला–हसनगंज), तहसील नानपारा, जिला बहराइच में स्थित प्लॉट संख्या 01, खसरा संख्या 3803 मिन पर निर्मित मकान संपत्ति पर प्रभार का विस्तार , जिसका क्षेत्रफल 112.76 वर्ग मीटर है। यह आवास संपत्ति श्री रिजवान अहमद पुत्र मोहम्मद हलीम निवासी हसन गंज, नानपारा देहाती, बहराईच उत्तर प्रदेश 271865 के नाम पर है।

**दिनांकः 30.04.2026,** **अशोक कुमार**
**स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश** **अधिकृत अधिकारी**

**पंजीकृत कार्यालयः** कॉर्पोरेट मुख्यालय एम.ए.रोड, श्रीनगर–190001 कश्मीर, भारत **टेलीफोन :** +91 (0)194 2481 930–35, **फैक्स :** +91 (0)194 248 1928, **सीआईएनः** L65110JK1938SGC000048, **ई-मेल :** info@jkbmail.com, **डब्ल्यः** www.jkbank.net

## केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

**आस्ति वसूली प्रबन्धन (एआरएम) II शाखा**
ए–27, पहली मंजिल, हौज खास,
नई दिल्ली–110016
ई–मेल : cb3038@canarabank.com

**ई–नीलामी बिक्री सूचना**

### बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबंधक नीचे वर्णित चल/अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत नीचे उल्लिखित तिथियों पर **"जैसा है जहाँ है"**, **"जो है यही है"** तथा **"जो कुछ भी है वही है"** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सेवा प्रदाता (**मैसर्स पीएसएबी एलायंस (Baanknet.com)**, (**संपर्क नंबर** 8291220220, **ईमेलः support.BAANKNET@psballiance.com**) द्वारा दिए गए 'ई–नीलामी' लिंक या केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com देखें। आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी राशि सीधे https://baanknet.com पोर्टल के ई–वॉलेट में जमा करना होगा या उसमें चालान जेनरेट करके बताए गए खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना होगा।

| क्र. सं. | नाम एवं पता कर्जदार/जमानती | अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण | कुल देयताएँ (रु.): | आरक्षित मूल्य (रु.): | ईएमडी (रु.): | वृद्धि राशि (रु.): | नीलामी की तिथि एवं समय | संपर्क व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स श्री बालाजी फुटकेयर प्रोप. श्री अनिल चोटिया (कर्जदार)<br>पता1: 2254 और 2255, भूतल, एमआईई पार्ट बी, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा – 124507<br>पता 2:2027, एमआईई पार्टबी, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा –124507<br>मैसर्स मास फुटकेयर प्रोप. श्री मोहित चोटिया पुत्र अनिल चोटिया (कर्जदार)<br>पता1: प्लॉट नं. सी–36, एमआईई पार्ट बी, बहादुरगढ़ झज्जर, हरियाणा –124507<br>पता 2: 294–295, पार्ट ए एमआईई सांखोल, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा – 124507<br>श्री अनिल चोटिया, पुत्र द्वारका प्रसाद चोटिया (श्री श्री बालाजी फुटकेयर के प्रोप्राइटर और श्री अनिल चोटिया और श्रीमती सुषमा चोटिया के नाम पर आवास ऋण के कर्जदार)<br>पताः बी 3/18, दूसरी मंजिल, मेनवाली नगर, सुंदर विहार, पश्चिम दिल्ली – 110087<br>श्री मोहित चोटिया, पुत्र श्री अनिल चोटिया (मास फुटकेयर के कर्जदार)<br>पताः बी 3/18, दूसरी मंजिल, मेनवाली नगर, सुंदर विहार, पश्चिम दिल्ली – 110087<br>श्रीमती सुषमा चोटिया, अनिल चोटिया की पत्नी (श्री बालाजी फुटकेयर और मास फुटकेयर की जमानती एवं बंधककर्ता तथा श्री अनिल चोटिया और श्रीमती सुषमा चोटिया के नाम पर आवास ऋण की कर्जदार एवं बंधककर्ता)<br>पताः बी 3/18, दूसरी मंजिल, मेनवाली नगर, सुंदर विहार, पश्चिम दिल्ली – 110087<br>श्री राजेश चोटिया, श्री के एल चोटिया के पुत्र (श्री अनिल चोटिया और श्रीमती सुषमा चोटिया के आवास ऋण के जमानती)<br>पताः 11/367, भूतल, सुंदर विहार, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली – 110087 | पूरी दूसरी मंजिल (डीडीए स्वीकृत योजना के अनुसार तीसरी मंजिल) छत/टेरेस के अधिकारों के बिना, साथ ही स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में 25% हिस्सा और साझा लिफ्ट के उपयोग का अधिकार, पूरी निर्मित आवासीय फ्रीहोल्ड संपत्ति का हिस्सा, क्रमांक 18, क्षेत्रफल 230.99 वर्ग गज, ब्लॉक बी–3, मेनवाली जिला सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड (मेनवालीनगर) के लेआउट प्लान में दर्शाई गई, पश्चिम विहार में स्थित, नई दिल्ली 110087<br>सीमाएँः उत्तरः प्लॉट क्रमांक 19, दक्षिणः 9 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्वः 9 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिमः सर्विस लेन (संपत्ति सांकेतिक कब्जे में) | रु. 4,07,60,538.32 मैसर्स श्री बालाजी फुटकेयर, रु. 1,11,45,105.50 मैसर्स मास फुटकेयर रु. 47,40,944.00 अनिल चोटिया एवं सुषमा चोटिया तिथि 26.09.2025 तक | रु. 313.00 लाख | रु. 31.30 लाख ईएमडी 21.05.2026 को 5.00 बजे अप. तक जमा की जानी है | रु. 1,00,000/– | 22.05.2026 12:30 बजे अप. से 01:30 बजे अप. के बीच (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित) | श्री नितिन कक्कड़ मोबाइल नंः 9096368559 एवं श्री मनोज कुमार, (प्राधिकृत अधिकारी) मोबाइल नं 8826933887 |
| 2. | 1. मैसर्स जयश्री दुर्गा ट्रेडर्स<br>पता 1: सी–22, सावन पार्क, अशोक विहार, फेज III, नई दिल्ली –110052<br>पता 2: दुकान नं. 3, सीएससी वजीरपुर, ब्लॉक–आईबी, अशोक विहार, फेज 1, नई दिल्ली –110052<br>2. श्री विनीत गोयल (प्रोप्राइटर)<br>पता 1: बी–19, सावन पार्क, अशोक विहार, फेज III, नई दिल्ली –110052<br>3. श्रीमती रजनी गोयल, पत्नी श्री परविंदर गोयल<br>पता 1: बी–19, सावन पार्क, अशोक विहार, फेज III, नई दिल्ली–110052<br>पता 2: दुकान नं. 3, सीएससी वजीरपुर, ब्लॉक–आईबी, अशोक विहार, फेज 1, नई दिल्ली –110052 | वाणिज्यिक दुकान संख्या 3, सीएससी वजीरपुर, ब्लॉक–आईबी, अशोक विहार, फेज 1, नई दिल्ली – 110052, क्षेत्रफल 13.73 वर्ग मीटर, श्रीमती रजनी गोयल के स्वामित्व में है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:<br>उत्तरः खुला<br>दक्षिणः गलियारा<br>पूर्वः दुकान संख्या 4<br>पश्चिमः दुकान संख्या 2 | रु. 80,01,797.18 तिथि 12.10.2018 तक | रु. 125.00 लाख | रु. 12.50/– ईएमडी 21.05.2026 को 5.00 बजे अप. तक जमा की जानी है | रु. 50,000/– | 22.05.2026 12:30 बजे अप. से 01:30 बजे अप. के बीच (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित) | श्री नितिन कक्कड़ मोबाइल नंः 9096368559 एवं श्री मनोज कुमार, (प्राधिकृत अधिकारी) मोबाइल नं 8826933887 |

**तिथिः– 02.05.2026** **कृते केनरा बैंक**
**स्थानः– नई दिल्ली** **अधिकृत प्राधिकारी**

## पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
*Where service is a way of life*

**ई–नीलामी** (केवल ई–नीलामी के माध्यम से विक्रय)

**क्षेत्रीय कार्यालय** बी–38/39, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नारायणा, नई दिल्ली 110028

### अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना 19–05–2026 को (11.00 बजे से 01.00 बजे)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) चल तथा 8(6) अचल के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता, बंधककर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक / साँकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर निम्न वर्णित खाता/तों के अंतर्गत बकाया राशियों की वसूली हेतु किया जायेगा। उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के विवरण / प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / बकाया देयराशियों / आरक्षित मूल्य / ई–नीलामी तिथि एवं समय, धराज राशि के विवरण निम्न तालिका में वर्णित हैं :

**अचल संपत्तियों का विवरण**

| क्र.सं. | उधारकर्ता / गारंटर तथा शाखा का नाम | संपत्ति का विवरण | मांग सूचना तिथि तथा बकाया राशि (रु.) के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज तथा अन्य व्यय | आरक्षित मूल्य | धराज | बोली वृद्धि राशि | संपत्ति निरीक्षण तिथि तथा समय | अधिग्रहण की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक) | धराज जमा की अंतिम तिथि एवं समय | ई–नीलामी की तिथि / समय | प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क नं. | लोकेशन साइट हेतु क्यूआर कोड | संपत्ति चित्र हेतु क्यूआर कोड | सेवा प्रदाता हेतु क्यूआर कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स दुर्गा ट्रेडर्स पार्टनर्स – श्री ओम प्रकाश गोयनका और श्री अभिमन्यु गोयनका<br>गारंटर – श्री अजय गोयनका, श्री निखिल गोयनका, सुश्री अलका गोयनका और सुश्री संध्या गोयनका<br>बीओ – मुखर्जी नगर | संपत्ति संख्या 188, वार्ड संख्या III, गली सरस्वती, तिलक बाजार, खारी बावली दिल्ली 110006, ओम प्रकाश गोयनका के नाम पर, विक्रय विलेख संख्या दस्तावेज संख्या 479, अतिरिक्त बहीखाता संख्या 1, खंड संख्या 7093, पृष्ठ संख्या 121–130, दिनांक 12–01–1996, उप–पंजीयक कार्यालय संख्या 1, कश्मीरी गेट में और संपत्ति संख्या 189–190, वार्ड संख्या III, गली सरस्वती, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली 110006, श्रीमती अलका देवी गोयनका और श्रीमती संध्या देवी गोयनका के नाम पर, बिक्री नामा संख्या 7119, अतिरिक्त बहीखाता संख्या 1, खंड संख्या 5201, पृष्ठ संख्या 34–43, दिनांक 28–12–1989, उप–पंजीयक कार्यालय संख्या 1, कश्मीरी गेट | 17.04.2026 और रु. 71434129.94, साथ ही भविष्य का ब्याज और अन्य व्यय | रु. 39600000/– | रु. 3960000/– | रु. 400000/– | 14.05.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक | भौतिक अधिग्रहण | 18.05.2026 रात 11:59 बजे तक | 19.05.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक | श्री महावीर प्रसाद (मुख्य प्रबंधक) मोबाइल नंबर 8954484549 | | | |
| 2. | समीउद्दीन आलम<br>गारंटर : किशन पाल और तरन्नुम नाज<br>बीओ : कश्मीरी गेट | एल.आई.जी. फ्लैट नं. एस–2, दूसरी मंजिल, बाईं ओर छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. बी–1/78, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–II, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005 | 17.04.2026 और रु. 1643041.25, साथ ही भविष्य का ब्याज और अन्य व्यय | रु. 1615000/– | रु. 161500/– | रु. 50000/– | 14.05.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक | भौतिक अधिग्रहण | 18.05.2026 रात 11:59 बजे तक | 19.05.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक | श्री कुमुद ढुल (मुख्य प्रबंधक) मोबाइल नंबर 9953759106 | | | |
| 3. | श्री अनिल ठाकुर और श्रीमती अर्चना ठाकुर<br>गारंटर– श्री अरुण ऋषि<br>बी/ओ– पीरागढ़ी | निर्मित प्लॉट नं. सी–22 के छताधिकार के साथ संपूर्ण द्वितीय तल, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा संख्या 944, ग्राम नवादा, कॉलोनी गुलाब बाग, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 | 17.04.2026 और रु. 880124.38, साथ ही भविष्य का ब्याज और अन्य व्यय | रु. 3810000/– | रु. 381000/– | रु. 50000/– | 14.05.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक | सांकेतिक अधिग्रहण | 18.05.2026 रात 11:59 बजे तक | 19.05.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक | श्री सुमन शर्मा (मुख्य प्रबंधक) मोबाइल नंबर 9899748099 | | | |

**नियम और शर्तें :–** 1. ऑनलाइन ई–नीलामी निर्धारित तिथि और समय पर नीलामी प्लेटफॉर्म https://baanknet.in के माध्यम से आयोजित की जाएगी। Baanknet साइट का क्यूआर कोड यहां दिया गया है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके https://baanknet-in पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद, उन्हें अपने केवाईसी दस्तावेज़ और बैंक विवरण अपलोड करने होंगे। पंजीकरण और अपलोड करने की औपचारिकताएं समय से पहले पूरी कर लें। 2. ईएमडी भुगतानः इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.in) पर पंजीकरण करें। ई–केवाईसी प्रक्रिया डिजिलॉकर के माध्यम से की जाएगी और केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार लॉग इन करके ईएमडी भुगतान कर सकते हैं। ईएमडी भुगतान के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को पोर्टल पर खरीदार के रूप में लॉग इन करने के बाद उपलब्ध खरीदार मैनुअल का पालन करना होगा। भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से और चालान बनाकर तथा वॉलेट में राशि जमा करके किया जा सकता है। निर्धारित समय से काफी पहले भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता को ई–नीलामी बंद होने से पहले https://baanknet.in नीलामी पोर्टल पर प्री–बिड ईएमडी जमा करनी होगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी के लिए, बोलीदाता को https://baanknet.in पर लॉग इन करके और क्रेता मैनुअल में दी गई वापसी प्रक्रिया का पालन करके ई–नीलामी सेवा प्रदाता से ऑनलाइन वापसी के लिए आवेदन करना होगा। असफल बोलीदाता की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सफल एच1 बोली के बाद शेष राशि खाता संख्या 80135040070003, नाम : NEFT इनवर्ड एसटीपी पार्किंग खाता, IFSC कोडः PSIB0008013 में जमा करनी होगी। 3. बोली लगाते समय, बोलीदाता को उपरोक्त वेबसाइट पर दी गई सूची में से उस संपत्ति का चयन करना होगा जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और/या बोलीदाता सीधे संपत्ति आईडी दर्ज कर सकता है। किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क नंबर– 8291220220 और ईमेल आईडी – support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें। पंजीकरण, लॉगिन और बोली लगाने के नियमों के लिए, कृपया https://baanknet.in के होम पेज पर दिए गए क्रेता मैनुअल लिंक को देखें। 4. बोली लगाते समय बोलीदाता के ई–वॉलेट में ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए। 5. ई–नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को अंतिम बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोलीदाताओं को लगातार उच्च बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई–नीलामी बंद कर दी जाएगी। 6. इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें, ई–नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 7. अधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सफल बोलीदाता को हमारे उपर्युक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसका पता सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत होगा। 8. आरक्षित संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 9. नीलामी में सफल खरीदार/बोलीदाता को नीलामी के अंतिम रूप देने/समाप्त होने पर बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (अर्थात पहले जमा की गई ईएमडी राशि सहित) तुरंत जमा करना होगा, यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक। बोली/खरीद मूल्य की शेष राशि नीलामी में सफल खरीदार/बोलीदाता द्वारा संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले अधिकृत अधिकारी को देय होगी, या खरीदार और सुरक्षित लेनदारों के बीच लिखित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के भीतर, किसी भी स्थिति में तीन महीने से अधिक नहीं। निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी और अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री आयोजित करने का अधिकार होगा और चूक करने वाले बोलीदाता का जब्त की गई राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। 10. भुगतान में चूकः ऊपर बताए गए अनुसार बोली राशि (ईएमडी सहित) का 25% उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर और/या शेष बोली राशि का 75% निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने पर, बिना किसी सूचना के बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और कोई भी अन्य राशि अधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक को जब्त कर ली जाएगी और चूक करने वाला क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर अपने सभी दावों को खो देगा, जिस पर इसे बाद में बेचा जा सकता है। 11. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को विक्रय मूल्य का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा और टीडीएस सफल बोलीदाता द्वारा केवल बोली राशि के शेष 75% जमा करने के समय ही जमा किया जाना है। 12. बोली में उल्लिखित नामों के अलावा, विक्रय प्रमाण पत्र में अन्य नामों को शामिल करने/बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर ही जारी किया जाएगा। 13. अधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वह स्वीकार्य न पाई जाए, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या उसकी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 14. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के विरुद्ध डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किसी भी स्थगन/निषेध/प्रतिबंध आदेश के लागू होने तक विक्रय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। विक्रय प्रमाण पत्र के निष्पादन तक सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज रहित जमा खाते में रखा जाएगा। जमा राशि की आंशिक या पूर्ण वापसी/विक्रय रद्द करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की स्थिति में, नीलामी स्थगित या रद्द की जा सकती है और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को अधिकृत अधिकारी/बैंक के विरुद्ध ऐसे स्थगन या रद्द होने के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, मुआवजा या लागत का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। 15. इच्छुक क्रेता उपर्युक्त तिथि और समय पर या बैंक द्वारा सूचित किए गए समय पर अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। स्वामित्व दस्तावेज और बैंक के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता कार्यालय समय के दौरान पंजाब एंड सिंध बैंक की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं। 16. संपत्तियां "जैसी है, जहां है", "जैसी है वैसी ही" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर बेची जा रही हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के प्रभार के अतिरिक्त बिक्री कर, उत्पाद शुल्क/जीएसटी/आयकर जैसे किसी भी प्राधिकरण के भार और दावों/अधिकारों/देय/प्रभारों के संबंध में संबंधित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्व अभिलेख विभाग/अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से स्वयं विवेकपूर्ण स्वतंत्र जांच–पड़ताल और सत्यापन करना चाहिए और बोली जमा करने से पहले संपत्ति पर स्वामित्व, प्रकृति, विवरण, विस्तार, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देय आदि के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्ष भार/दावों/अधिकारों/देय के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति पर किसी भी प्रकार के शुल्क/भार या अन्य किसी भी मामले से संबंधित कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 17. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने का दायित्व नहीं लेता है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार बकाया जल/सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, बिजली बिल, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/सहकारी आवास समिति को देय राशि या उक्त संपत्ति की बिक्री से संबंधित किसी भी अन्य देय राशि, कर, शुल्क, हस्तांतरण शुल्क आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सफल बोलीदाताओं को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 18. बोली लगाने वाले को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी गड़बड़ी या ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले किसी भी कारण/आकस्मिकताओं के कारण होने वाली किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 19. यदि संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है और बोलीदाता सांकेतिक कब्जे वाली संपत्ति खरीद रहा है, तो यह खरीद उसके अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी। 20. यदि बोली(यों) की वैधता, बोली की राशि, ईएमडी या बोलीदाता की पात्रता, बोलीदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के अधिकार के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अधिकृत अधिकारी की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेक से बिक्री रद्द करने और बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि और समय पर संपत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए, बोलीदाता को संबंधित शाखा के संबंधित अधिकृत अधिकारी से ही संपर्क करना होगा। 21. बिक्री सुरक्षित ऋणदाता बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। 22. बिक्री सरफेसी अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित किसी भी शर्त/नियम/प्रावधान तथा उपरोक्त उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

**इस सूचना को सरफेसी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता और गारंटर (एलआरएस) हेतु 15 दिवसीय साँविधिक विक्रय सूचना के रूप में भी माना जाएगा।**

**दिनांक : 05-05-2026, स्थान : दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक**